

सं०:- 1/सा०सु० CFMS -05/2018 स.क.- 423

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा०प्र०से०,

निदेशक,

सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक,

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार।

पटना, दिनांक- 21/03/2018

विषय:-वित्तीय प्रबंधन हेतु विकसित किए जा रहे CFMS हेतु की जाने वाली तैयारी के संबंध में।

प्रसंग:-वित्त विभाग का पत्रांक-1671 दिनांक-06.03.2018

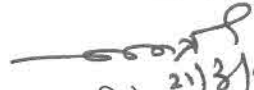
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय कार्य Online करने हेतु CFMS विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत CFMS में ही बजट तैयारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटन उपलब्ध कराने, स्वीकृत्यादेश निर्गत करने, विपत्र तैयार करने, व्यय एवं प्राप्ति का अनुश्रवण करने आदि का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय नियंत्री पदाधिकारियों और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों को Module में सृजित किया जाना है। इसके लिए संलग्न पत्र की कंडिका-4 के अलावा अन्य सुसंगत कंडिकाओं का अनुपालन एवं संलग्न अनुलग्नक के विहित प्रपत्र में सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


21/3/18
निदेशक

ज्ञापांक:-1/सा०सु० CFMS -05/2018 स.क.- स०क०- 423 पटना, दिनांक- 21/03/2018

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/3/18
निदेशक

ज्ञापांक1/सा०सु० CFMS -05/2018 स.क.-

423

पटना, दिनांक- 21/03/2018

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


21/3/18
निदेशक
(21/3/18)